छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक 1887/2018
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक – 07/01/2020
निर्णय पारित दिनांक – 31/01/2020

परसराम साहू, पिता मंशाराम साहू, उम्र लगभग 42 वर्ष,
निवासी ग्राम कुरुद, थाना आरंग, जिला रायपुर (राजस्व एवं सिविल),
छत्तीसगढ़

------------ **अपीलार्थी**

बनाम

छ०ग० राज्य
द्वारा पुलिस थाना आरंग,
जिला रायपुर (राजस्व एवं सिविल),
छत्तीसगढ़

------------ **उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 1897/2018

ललित बर्वे उर्फ लियान बर्वे, पिता भीमराव बर्वे, उम्र लगभग 21 वर्ष
साकिन काशीराम नगर, मकान नंबर 518, बर्वे किराना स्टोर के पास,
रायपुर, थाना तेलीबांधा, जिला रायपुर
छत्तीसगढ़

------------ **अपीलार्थी**

बनाम

छ०ग० राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आरंग,
जिला रायपुर छत्तीसगढ़

------------ **उत्तरवादी**

दांडिक अपील क्रमांक 63/2019

भूपेन्द्र कुमार ध्रुव उर्फ आर्य ठाकुर, पिता जवाहर ध्रुव,
उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम सलावनी, थाना बलौदाबाजार,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़,
वर्तमान निवासी मंदिर हसौद, राजस्व एवं सिविल जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

------------ अपीलार्थी

बनाम

छ०ग० राज्य
द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना आरंग,
जिला रायपुर (राजस्व एवं सिविल),
छत्तीसगढ़

------------ उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 74/2019

डोमन निषाद पिता परदेशी निषाद, उम्र लगभग 26 वर्ष
निवासी ग्राम रसौटा, थाना आरंग,
वर्तमान निवासी नवीन राजेंद्र नगर, बजाज कॉलोनी, सेक्टर 2,
दुर्गा मंदिर गार्डन परिसर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

------------ अपीलार्थी

बनाम

छ०ग० राज्य
द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना आरंग,
जिला रायपुर (राजस्व एवं सिविल),
छत्तीसगढ़

------------ उत्तरवादी

दांडिक अपील क्रमांक 273/2019

गोवर्धन साहू उर्फ बबला, पिता स्वर्गीय लखन लाल साहू,
उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम कुरूद, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ

------------ **अपीलार्थी**

बनाम

1. छ०ग० राज्य
द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना आरंग,
जिला रायपुर (राजस्व एवं सिविल),
छत्तीसगढ़
2. डोमन निषाद पिता परदेशी निषाद, उम्र लगभग 26 वर्ष
निवासी ग्राम रसौटा, थाना आरंग,
वर्तमान पता– नवीन राजेंद्र नगर, बजाज कॉलोनी सेक्टर 2,
दुर्गा मंदिर गार्डन परिसर रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
(वर्तमान में केन्द्रीय जेल रायपुर, जिला रायपुर)
3. ललित बर्वे उर्फ लियोन बर्वे, पिता स्वर्गीय भीम राव बर्वे,
उम्र लगभग 21 वर्ष वर्ष, निवासी काशीराम नगर, मकान नंबर 518,
बर्वे किराना स्टोर के पास रायपुर, थाना तेलीबांधा, रायपुर,
जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
(वर्तमान में केन्द्रीय जेल रायपुर, जिला रायपुर)
4. परसराम साहू पिता मंशाराम साहू, उम्र लगभग 42 वर्ष
निवासी ग्राम कुरूद, थाना आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)
(वर्तमान में केन्द्रीय जेल रायपुर, जिला रायपुर)
5. भूपेन्द्र कुमार ध्रुव उर्फ आर्य ठाकुर, पिता जवाहर ध्रुव,
उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम सलौनी, थाना बलौदा बाजार
जिला बलौदा बाजार – भाटापारा, छत्तीसगढ़
वर्तमान पता – मंदिर हसौद, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
(वर्तमान में केन्द्रीय जेल रायपुर, जिला रायपुर)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री विनीत कुमार पांडे, श्री अनिल पिल्लई, श्री विवेक शर्मा, श्री कृपेश जी केला की ओर से अधिवक्ता श्री एल.के. मिश्रा अधिवक्ता, श्री प्रदीप सिंह ठाकुर, अधिवक्ता

प्रतिवादी/राज्य के लिए: श्री आनंद वर्मा, उप महाधिवक्ता

आपत्तिकर्ता/घायलों की ओर से: श्री सी.आर. साहू और श्री सुधीर वर्मा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल

सी ए वी निर्णय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

01. वर्तमान अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई है, अतः उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

02. ये अपीलें, अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश सीबीआई) रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 235/2017, में पारित निर्णय दिनांक 30/11/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके तहत अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध ठहराते हुए निम्नानुसार सजा दी गई है:–

आरोपीगण/अपीलार्थीगण	दोषसिद्धि	दंड
सभी आरोपीगण/अपीलार्थीगण	अंतर्गत धारा 307/120 बी भारतीय दंड संहिता	05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/– जुर्माना
	अंतर्गत धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता	05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/– जुर्माना, चूक की शर्त सहित

अभियुक्त/अपीलार्थी भूपेंद्र (भारतीय दंड संहिता के तहत उसकी उपर्युक्त दोषसिद्धि के अतिरिक्त)	अंतर्गत धारा 25(1A) आयुध अधिनियम	05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना, चूक की शर्त सहित
	अंतर्गत धारा 27(1) आयुध अधिनियम	05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना, चूक की शर्त सहित

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04/09/2017 को शाम लगभग 07.00 बजे गोवर्धन उर्फ बबला (अ.सा.-1) और जीवराखन (अ.सा.-3) मोटरसाईकिल से कुरुद से लौट रहे थे, जिसे जीवराखन चला रहा था। रास्ते में वे गुटखा खाने के लिए रुके, जीवराखन दुकान में गुटखा लेने के लिए गया। गोवर्धन उर्फ बबला किसी व्यक्ति से अपने मोबाईल में बात कर रहा था, उसी समय दो लोग अपने चेहरे को ढंककर समोदा की ओर से मोटरसाईकिल से आए। मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने गोवर्धन उर्फ बबला से रास्ते के बारे में पूछा और उसके बाद उसने रिवाल्वर निकाली और रिवाल्वर निकालकर दो फायर किए, जो उसके पेट और सीने में लगे, इसके बाद दोनों मोटरसाईकिल सवार वहां से चिखली की ओर भाग गए। आहत गोवर्धन को राकेश साहू, रामनाथ और नकुल चक्रधारी द्वारा टाटा सूमो वाहन से रामकृष्ण केयर अस्पताल, रायपुर ले जाया गया। सूचना पाकर, विवेचक बोधन साहू (अ.सा.-17) निरीक्षक, पुलिस थाना आरंग अस्पताल पहुंचे। उसके बाद रुपकुमार (अ.सा.-6) द्वारा देहाती नालसी (प्र.पी.-21) दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का नजरीनक्शा (प्र.पी.-17) तैयार किया गया, घटनास्थल के पास से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रक्तरंजित पत्थर को प्र.पी.–24 के अनुसार जप्त किया गया, घटनास्थल से दो खाली कारतूस भी प्र.पी.–19 के अनुसार जप्त किया गया। उसके बाद विवेचक द्वारा थाना पहुंचकर देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना पत्र (प्र.पी.–33) दर्ज किया। आहत गोवर्धन के ईलाज के दौरान उसका मुलाहिजा डॉ० विकास शर्मा (अ.सा.–15) द्वारा कराया गया । आहत के शरीर में कुल 05 चोट के निशान पाए गए, उसमें से दो गोली लगने का निशान पाए गए । चोट क्र–4 गोली प्रवेश करने का घाव था, जिसका आकार 2X2 सेमी० था, जो पेट के बांयी तरफ पाया गया और चोट क्र–05 बाह्य घाव था, जिसका आकार 2X0.5 सेमी० था, जो पेट के दाहिने ओर नाभी से 4 सेमी. दूरी पर था । बाद में सीटी स्कैन में पता चला कि बडी एवं छोटी आंत में छेद हो गया था, जिससे रक्त स्त्राव हो रहा था जिसके कारण आहत का दिनांक 04.09.2017 को सर्जरी हुयी थी । उसका मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.28 है । वह दिनांक 19.09.2017 को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था । अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया की धारा 161 के तहत कथन लेखबद्ध किया गया जिसमें यह तथ्य सामने आया कि अपीलार्थी परसराम एवं डोमन आहत गोवर्धन से शत्रुता रखते थे । दिनांक 12.09.17 को अपीलार्थी डोमन, परसराम एवं ललित को हिरासत में लिया गया और उनका मेमोरेण्डम कथन (क्रमशः प्र.पी. 1, 6 व 3 दर्ज किया गया ।) दिनांक 19.09.17 को अपीलार्थी भूपेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया जो (प्र.पी.8) है । चारों अपीलार्थीगण के मेमोरेण्डम कथन से यह तथ्य प्रकट हुआ कि चुनावी रंजिश के चलते अपीलार्थी परसराम ने , डोमन और आहत गोवर्धन के मध्य वर्ष 2015 से आपसी रंजिश था । फरवरी 2017 में अपीलार्थी परसराम, अपीलार्थी डोमन के साथ मिलकर गोवर्धन की हत्या की योजना तैयार की । इसके बाद अपीलार्थी डोमन, अपीलार्थी भूपेन्द्र के साथ मिला । अपीलार्थी भूपेन्द्र भी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गोवर्धन के हत्या के लिए तैयार हो गया । फरवरी 2017 में अपीलार्थी डोमन, अपीलार्थी परसराम से पिस्तौल लेने के लिए 50,000/– रुपये प्राप्त किया । अपीलार्थी डोमन जुलाई 2017 में सुरेश मिश्रा जो कि मेडिसाईन हॉस्पीटल का गार्ड है, उससे पिस्तौल खरीदने के लिए संपर्क किया । सुरेश मिश्रा और डोमन एक साथ भदौही, गोपीगंज उत्तर प्रदेश गये जहां सुरेश मिश्रा नब्बे हजार में पिस्तौल की खरीदी का मामला सुलझाया था । उस समय अपीलार्थी डोमन के पास तीस हजार रुपये था और इसलिए वे वहां से बिना पिस्तौल खरीदे वापस आ गये । दिनांक 25.08.17 को अपीलार्थी डोमन पुनः अपीलार्थी भूपेन्द्र के साथ पिस्तौल खरीदने के लिए भदौही, गोपीगंज उत्तर प्रदेश गये और वहां से पिस्तौल और कारतूस खरीदकर वापस आये । इसके बाद अपीलार्थी डोमन और भूपेन्द्र ने अपीलार्थी परसराम से मिलकर छः लाख रुपये में गोवर्धन की हत्या करने का योजना बनाया । इसके बाद दिनांक 02.09.2017 को अपीलार्थी ललित और भूपेन्द्र ग्राम कुरुद गये और वहां का रेकी किया । दिनांक 04.09.17 को पुनः वे दोनों मोटर सायकल से ग्राम कुरुद गये । अपीलार्थी ललित मोटर सायकल चला रहा था । अपीलार्थी भूपेन्द्र ने पिस्तौल से गोवर्धन को मारने के लिए दो गोलियां चलायी इसके बाद वे दोनों वहां से भाग गये । अपीलार्थीगण के मेमोरेण्डम कथन से यह भी तथ्य प्रकट हुआ कि घटना के पश्चात रात्रि करीबन 10 बजे अपीलार्थी भूपेन्द्र, अपीलार्थी डोमन को फोन किया और बताये कि उन्होंने गोवर्धन पर गोली चलायी है । इसके बाद दिनांक 05.09.17 को अपीलार्थी परसराम रायपुर आया और अपीलार्थी डोमन को तीन लाख रुपये । जिसमें से अपीलार्थी डोमन ने, अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित को पचास–पचास हजार रुपये दिये । अपीलार्थी डोमन के मेमोरेण्डम कथन के आधार 88,000/– रुपये एवं एक मोबाईल फोन जिसमें दो सीम लगे थे, अपीलार्थी डोमन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से प्र.पी.2 के अनुसार जप्त किये थे । अपीलार्थी ललित के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार एक यामहा मोटर सायकल एवं एप्पल मोबाईल फोन की जप्ती प्र.पी.4 के अनुसार जप्त की गई । अपीलार्थी ललित के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार जप्ती पत्रक प्र.पी.5 के अनुसार अपीलार्थी ललित के बताये अनुसार खल्लारी मंदिर के पीछे कोडार डेम के जंगल से निकालकर पेश करने पर तीस हजार रुपये जप्त किये थे । अपीलार्थी परसराम से एक वैगन आर कार एवं माइक्रोफोन मोबाईल की जप्ती प्र.पी.7–ए के अनुसार की गयी । अपीलार्थी भूपेन्द्र से एक देशी कट्टा एवं दो खाली कारतूस प्र.पी.9 के अनुसार जप्त की गयी । अपीलार्थी भूपेन्द्र से वीवो कंपनी के मोबाईल एवं पांच हजार रुपये की जप्ती (प्र.पी.10) के अनुसार की गयी । अपीलार्थी डोमन को अपीलार्थी परसराम से जो राशि प्राप्त हुयी थी उसमें से 17,000–17,000/– जो अपीलार्थी डोमन ने रिखीराम और विरेन्द्र को दिया था, वह रिखीराम व विरेन्द्र से क्रमशः प्र.पी.11 एवं 20 के अनुसार जप्त की गयी थी । आगे अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.17 एवं 04.09.17 को अपीलार्थी भूपेन्द्र एवं ललित, मनहरण चक्रधारी (अ.सा.2) के दुकान में गये और वहां से गुटखा खरीदा । अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित की पहचान कार्यवाही तहसीलदार पार्वती पटेल (अ.सा.13) के द्वारा की गयी जो प्र.पी.7 व 8 है, जिसमें मनहरण चक्रधारी (अ.सा.2) ने अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित की पहचान की । संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और उनके विरुद्ध आरोप विरचित किया गया ।

04. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में 19 साक्षियों का परीक्षण कराया है। दंड प्रक्रिया की धारा 313 के तहत अपीलार्थीगण/आरोपीगण ने स्वयं को झूठा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

फंसाया जाना एवं निर्दोष होना बताया है । उन्होंने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कराया है ।

05. संपूर्ण विचारण उपरांत, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण को इस निर्णय की कंडिका 02 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई गई है । इसलिए यह अपील आरोपीगण एवं आहत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

06. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभिलेख में बिना किसी पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य के विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दोषपूर्ण तरीके से दोषसिद्ध किया गया है । उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि विचारण न्यायालय यह विवेचित करने में विफल रहा है कि अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण परिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित रहा है और प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला निर्बाध रुप से पूर्ण नहीं है । विचारण न्यायालय यह विवेचित करने में विफल रहा है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जिन परिस्थितियों में दोष का पता लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें संयुक्त रुप से दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने की ओर जो परिस्थितियां अचूक इशारा करती है, वे निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए । इसके अलावा सभी परिस्थितियों की एक श्रृंखला बननी चाहिए और उनकी श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी हितबद्ध साक्षी है, उनके परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं लोप है । अतः वे विश्वसनीय साक्षी नहीं है। उन्होंने आगे तर्क किया है कि अभियोजन के अनुसार पहचान कार्यवाही के दौरान (अ.सा.2) मनहरण द्वारा अपीलार्थी भूपेन्द्र एवं ललित की पहचान की गई है, किन्तु (अ.सा.2) मनहरण के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्ष्य के अनुसार केवल यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित उसकी दुकान में गुटखा लेने गए थे। मात्र उसके साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि दोनों अपीलार्थी ने ही गोवर्धन पर गोली चलाई क्योंकि (अ.सा.2) मनहरण घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और न ही उसने घटनास्थल से दोनों अपीलार्थीगण को भागते देखा है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि पिस्तौल और खाली कारतूस की जप्ती से भी अपराध सिद्ध नहीं होता है क्योंकि उक्त जप्ती की कार्यवाही एक खुले स्थान से की गई है और इसके अतिरिक्त जप्तशुदा बंदूक एवं कारतूस का परीक्षण करने वाले (अ.सा.–14) लक्ष्मीनारायण ने जप्तशुदा बंदूक से ही गोली चलाए जाने के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया है। अतः पिस्तौल की जप्ती से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि (अ.सा.–15) डॉ. विकास शर्मा के अनुसार आहत गोवर्धन के शरीर में गोली लगने के दो निशान पाए गए थे, जिसमें से चोट क्रमांक 05 गोली बाहर निकलने की चोट है। इन परिस्थितियों में उक्त कारतूस या तो घटनास्थल से या उसके आस–पास या गोवर्धन के शरीर के पास से जप्ती की जानी थी किन्तु उक्त कारतूस न तो घटनास्थल से, न घटनास्थल के आस पास से और न ही गोवर्धन के शरीर से प्राप्त हुई है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया किया है कि आपराधिक षड़यंत्र के संबंध में प्रकरण में कोई भी ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। (अ.सा.–10) गोवर्धन ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी डोमन उसके गांव में नहीं रहता है और उसका उसके साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में आगे यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2005 से 2016–17 तक इनमें से किसी के भी खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कहानी के अनुसार सभी अपीलार्थी एक दूसरे से फोन से संपर्क में थे और घटना के बाद उनके मोबाईल जप्त किए गए है, किन्तु अभियोजन द्वारा कोई फोन कॉल डिटेल अथवा लोकेशन की जानकारी एकत्र नहीं की गई है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थीगण के मध्य कोई बातचीत हुई और उन्होंने किसी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन के अनुसार अपीलार्थी डोमन, गार्ड सुरेश के साथ पिस्तौल खरीदने उत्तरप्रदेश गया था और बाद में सुरेश मिश्रा के माध्यम से उसने स्वयं पिस्तौल खरीदी किन्तु अभियेाजन ने सुरेश मिश्रा को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार घटना के पश्चात रिखीराम और विरेन्द्र को 17000/- दिया गया था किन्तु उक्त दोनों को ही न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। उक्त सारी कार्यवाही दोषपूर्ण है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करते हुए त्रुटि कारित की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. आहत/आपत्तिकर्ता गोवर्धन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा किए गए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे कम सजा दी गई है, अतः उनकी सजा बढ़ाई जानी चाहिए।

08. राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धी एवं दण्डादेश का समर्थन किया है।

09. मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और प्रकरण का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

10. (अ.सा-3) गोवर्धन एवं (अ.सा.-1) जीवराखन ने घटना के संबंध में कथन किया है कि दिनांक 04.09.2017 को रात्रि लगभग 08.30 बजे वे कुरूद से मोटरसाईकिल से लौट रहे थे। बस स्टैण्ड के पास गोवर्धन मूत्राशय के लिए रूका

और जीवराखन गुटखा लेने के लिए राशन दुकान गया। उसी समय पास में मोटरसाईकिल में दो लड़के खड़े थे, जिसमें पिछे बैठे व्यक्ति ने रास्ता पूछा और रिवॉल्वर निकालकर गोवर्धन पर दो गोली चलाई। गोवर्धन के अनुसार, हमला करने वाला, जिसने गोली चलाई थी, वह अपने मुंह को गमछा से बांधे हुआ था और वह गाड़ी चलाने वाले को नहीं पहचान सकता। आगे जीवराखन ने कथन किया है कि जैसे ही वह दुकान पहुंचा उसने दो बार पटाखा फूटने जैसे आवाज सुनी। वह गोवर्धन के पास गया तो उसने बताया कि उसे किसी ने बंदूक से मारा है। उसी समय रामनाथ, रिखी चक्रधारी और कुछ लोग वहां पर आए। उसके बाद गोवर्धन को अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद (अ.सा–6) रूपकुमार द्वारा देहाती नालसी (प्र.पी.–21) दर्ज कराया गया। गोवर्धन का ईलाज एवं परीक्षण (अ.सा.–15) डॉ0 विक्रम शर्मा ने किया है, उनकी रिपोर्ट प्र.पी.–28 है। गोवर्धन के शरीर में कुल 05 चोटे पायी गई थी जो निम्नानुसार है–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

01. छाती के बांयी ओर 3X1 सेमी0 का फटा हुआ घाव।

02. छाती में स्टनर्म के नीचे की ओर 4 X 2 सेमी0 का फटा हुआ घाव।

03. छाती के दाहिनी ओर 2 X 1 सेमी0 का फटा हुआ घाव।

04. नाभि के समानांतरण पेट के बायी ओर 2X2 सेमी. का प्रवेश करने का घाव और

05. नाभि से 04 सेमी0 की दूरी पर पेट के दाहिनी ओर 2 X 0.5 सेमी0 का बाह्य (निकास) घाव ।

(अ.सा.–15) डॉ. विकास शर्मा के अनुसार दिनांक 19.09.2017 को गोवर्धन को डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके परीक्षण के दौरान दिनांक 04.09.2017 को गोवर्धन के पेट की सर्जरी की गई थी। हालांकि उन्होंने

अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि किसी भी चिकित्सकीय दस्तावेज में गोवर्धन के शरीर में गोली पाए जाने का उल्लेख नहीं है।

11. (अ.सा.–17) निरीक्षक बोधन साहू इस प्रकरण के विवेचक है। उन्होंने घटनास्थल से पीतल के दो खाली कारतूस जप्त किए है, जिसका जप्ती पत्रक प्र.पी.19 है। उन्होंने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उन्होंने घटनास्थल से कोई कारतूस की जप्ती की है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि दो अंजान व्यक्ति मोटरसाईकिल से घटनास्थल पर आए और उसमें से पीछे बैठे व्यक्ति, जिसने अपना मुंह गमछा से बांधा हुआ था, उसने गोवर्धन पर बंदूक से दो गोलियां चलाई। आहत गोवर्धन के अलावा घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और गोवर्धन के अनुसार वह उन दोनों व्यक्ति में से किसी को नहीं पहचानता। (अ.सा.–1 जीवराखन) जो गोवर्धन के साथ था, वह भी उन दोनों में से किसी को नहीं पहचानता। देहाती नालसी (प्र.पी.21) में भी उन दोनों व्यक्तियों का नाम नहीं है। इस प्रकार अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्तानुसार साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी परसराम, डोमन और आहत गोवर्धन के मध्य 2015 में हुए चुनाव के कारण पुरानी रंजिश थी। जिसके कारण अपीलार्थी परसराम ने अपीलार्थी डोमन के साथ मिलकर गोवर्धन की हत्या करने की योजना बनाई। उसके बाद अपीलार्थी डोमन, अपीलार्थी भूपेन्द्र से मिला और उसे गोवर्धन की हत्या करने की सुपारी दी। उसके बाद, सुरेश मिश्रा के जरिए अपीलार्थी डोमन और भूपेन्द्र को एक बंदूक और कारतूस भदौही, गोपालगंज उत्तरप्रदेश से प्राप्त किया। उसके बाद अपीलार्थी परसराम ने छः लाख रू0 में सौदा तय किया। उसके बाद दिनांक 02.09.2017 को

अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित, गोवर्धन के गांव गए और उस स्थान की तलाश किए और उसके बाद दिनांक 04.09.2017 को वे दोनों दोबारा गोवर्धन के गांव गए और वहां अपीलार्थी ललित ने गोवर्धन पर दो गोली चलाई।

14. (अ.सा.–3) गोवर्धन ने पुरानी शत्रुता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी परसराम और डोमन के विरूद्ध कथन किया है। अपीलार्थी परसराम वर्ष 2005 में सरपंच का चुनाव लड़ा था। अपीलार्थी परसराम ने वर्ष 2008 में गोवर्धन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो गिर गया। उसके बाद वर्ष 2015 में गोवर्धन की पत्नी और अपीलार्थी परसराम की पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें गोवर्धन की पत्नी की जीत हुई। आगे गोवर्धन कहता है कि इस रेत की लोडिंग के लिए चैन मशीन स्थापित करने के लिए उसके और अपीलार्थी परसराम के मध्य विवाद हुआ। अपीलार्थी डोमन के अनुसार, गोवर्धन ने बयान दिया है कि वह वर्ष 2015 में अपीलार्थी डोमन ने जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने डोमन को पराजित किया था, जिसके कारण वह उससे दुश्मनी रखता है। हालांकि गोवर्धन ने अपने प्रतिपरीक्षण में कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी डोमन उसके गांव का नहीं है, चुनाव के समय या उसके बाद, उनके बीच कोई झगड़ा या विवाद नही हुआ है। गोवर्धन ने अपने साक्ष्य की कंडिका 19 में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2005 से 2016–17 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके अथवा अपीलार्थी परसराम के विरूद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यही प्रमाणित होता है कि गोवर्धन और अपीलार्थी परसराम अलग–अलग दल से थे और उन्होंने एक दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़ा था। चुनावी प्रतिद्वंदिता के अलावा उन दोनों के मध्य कोई दुश्मनी अथवा विवाद के संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभिलेख में आए साक्ष्य से केवल राजनीतिक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिद्वंदिता के कारण अपीलार्थी परसराम द्वारा गोवर्धन की हत्या करने की कोशिश किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

15. अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार घटना के दौरान और घटना के पश्चात अपीलार्थी परसराम और डोमन के मध्य एक बैठक हुई थी और सभी आरोपीगण एक दूसरे से मोबाईल से जुड़े हुए थे। आरोपीगण के मेमोरेण्डम के आधार पर विवेचना के दौरान उनके मोबाईल फोन की जप्ती की गई है किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त मोबाईल के कॉल डिटेल और लोकेशन के जानकारी एकत्रित कर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा ऐसा क्यू नहीं किया गया है, इसका उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अपीलार्थीगण के मध्य घटना के समय और घटना के पश्चात किसी भी प्रकार की बैठक हुई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. (अ.सा.–2) मनहरण के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 02.09.2017 को दोपहर में उसके बाद दिनांक 04.09.2017 को शाम लगभग 06.30 बजे अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित गुटखा खरीदने उसके दुकान में गए थे। उसके बाद पहचान कार्यवाही के दौरान उसने अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित की पहचान की थी, जो प्र.पी.–7 एवं 8 है। किन्तु प्र.पी.–7 और 8 में इस साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। (अ.सा.–2) मनहरण के संपूर्ण साक्ष्य से केवल यही प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित उसकी दुकान पर गुटखा खरीदने गए थे, किन्तु कथित घटना उसके सामने नहीं हुई थी और न ही उसने हमलावरो को वहां से भागते देखा था। इन परिस्थितियों में (अ.सा.–2) मनहरण के कथन के आधार पर कि अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित उसकी दुकान में शाम को गुटखा खरीदने आए थे, यह निष्कर्ष

नहीं दिया जा सकता कि अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित ने गोवर्धन पर बंदूक से वार किया।

17. चोट क्र–5 गोली निकलने की चोट है, इसलिए जिस गोली से चोट क्रमांक 05 आई, उस गोली को घटनास्थल पर या उसके आसपास पाया जाना चाहिए था किन्तु वह नहीं पाया गया और उसकी जप्ती नहीं की गई। (अ.सा.–3) गोवर्धन के साक्ष्य के दौरान विचारण न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से पाया है कि टी शर्ट (आर्टिकल–ए) और गोवर्धन के शरीर में गोली निकलने को कोई निशान नहीं है और गोवर्धन ने भी यही कहा है कि उसके शरीर से कोई गोली नहीं निकाली गई। इसका तात्पर्य यह है कि उसके शरीर में कोई बाहरी घाव मौजूद नहीं था। इन परिस्थितियों में एक गोली उसके शरीर में पाई जानी चाहिए थी किन्तु उसके शरीर में कोई गोली नहीं पाई गई। इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. अभियोजन प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थी भूपेन्द्र से (प्र.पी.–9) के अनुसार एक देशी कट्टा और दो खाली कारतूस की जप्ती की गई है और घटनास्थल से (प्र.पी.–19) के अनुसार दो पीतल के खाली कारतूस की जप्ती की गई है। जप्तशुदा पिस्तौल, दो खाली कारतूस और दो खाली मैग्जीन की परीक्षण आरमोरर लक्ष्मीनारायण (अ.सा.–14) से कराया गया है। उसके अनुसार पिस्तौल चालू हालत में थी। घटना उस पिस्तौल से की गई थी, इस संबंध में उसने कोई अभिमत नहीं दिया है। उन्होंने कंडिका 09 में यह स्वीकार किया है कि जब बैरल से गोली निकलती है, तब बैरल में लेड ऑक्साइड पाया जाता है। उन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया है कि जिस हाथ से बंदूक चलाई जाती है, उसके निशान हैमर ट्रिप पर रह जाते है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात

का कोई उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने बैरल के अंदर कोई लेड ऑक्साईड पाया या नहीं और हैमर ट्रीप पर कोई निशान मौजूद था अथवा नहीं। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने परीक्षण के दौरान उक्त बंदूक से गोली चलाई थी, किन्तु उसने इस बात का उल्लेख अपने परीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया है। उक्त परिस्थितियों में साक्षी ने किस आधार पर पिस्तौल को चालू हालत में बताया था, यह प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण में इस बात का भी कोई स्पष्ट अभिमत नहीं है कि उक्त पिस्तौल से कोई गोली चलाई गई थी।

19. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य की सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आहत (अ.सा.–3) गोवर्धन उर्फ बबला स्वयं किसी हमलावर को नहीं पहचानता है। यद्यपि (अ.सा.–2)ने अपीलार्थी भूपेन्द्र और ललित की पहचान की है, किन्तु उसके साक्ष्य से केवल यही प्रमाणित होता है कि दिनांक 02.09.2017 औश्र 04.09.2017 को दोनों अपीलार्थी उसकी दुकान में गुटखा खरीदने आए थे। घटना के समय या तुरंत घटना के पहले या बाद में उसने हमलावरों को नहीं देखा था, इसलिए केवल उसके साक्ष्य के आधार यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि अपीलार्थीगण ही हमलावर है।

20. (अ.सा.–3) गोवर्धन के साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी परसराम और डोमन से उसकी पूर्व रंजिश थी किन्तु यह पूर्व में ही प्रमाणित हो चुका है कि उसकी अपीलार्थी डोमन से कोई दुश्मनी नहीं थी। अपीलार्थी डोमन दूसरे गांव का निवासी था। गोवर्धन के साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि उसके और अपीलार्थी परसराम के मध्य केवल चुनावी रंजिश थी और वर्ष 2005 से 2016–17 तक उसके द्वारा अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। चूंकि गोवर्धन एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसलिए अन्य व्यक्तियों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा भी उसकी राजनीतिक रंजिश हो सकती है। इसलिए केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी परसराम के साथ उसकी राजनीतिक रंजिश है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि परसराम ने ही उसकी हत्या की साजिश की थी, यह सुरक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में इस संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि घटना के पहले और घटना के बाद अपीलार्थीगण एक दूसरे से मिले या एक दूसरे के मोबाईल के माध्यम से संपर्क में थे । चूंकि अपीलार्थीगण से मोबाईल फोन की जप्ती की गई है,किन्तु अभियोजन द्वारा कॉल डिटेल एवं लोकेशन न ही एकत्र किया गया है और न ही प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी सुरेश मिश्रा, रिखीराम और विरेन्द्र का भी परीक्षण नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित नहीं है कि जप्तशुदा पिस्तौल से कोई फायर किया गया है । चूंकि (अ.सा.-14) आरमोरर लक्ष्मीनारायण ने पिस्तौल को चालू हालत में होना बताया है किन्तु उसने किस आधार पर ऐसा अभिमत दिया है, वह स्पष्ट नहीं है । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया है कि बैरल में लेड ऑक्साईड और हैमर ट्रिप में कोई निशान पाया गया था । उपरोक्त परिस्थितियों में यह प्रमाणित नहीं है कि जप्तशुदा पिस्तौल से कोई फायर किया गया था । आहत गोवर्धन के शरीर से अथवा घटनास्थल से कोई कारतूस की जप्ती नहीं की गई है, इस तथ्य के संबंध में समुचित विवेचना नहीं की गई है । उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर मेरा यह अभिमत है कि अभियोजन संदेह से परे अपने मामले को प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए सभी आरोपीगण/अपीलार्थीगण संदेह का लाभ पाने के हकदार है ।

21. परिणामस्वरुप, आहत/आपत्तिकर्ता गोवर्धन द्वारा सजा में वृद्धि के लिए प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 273/2019 निरस्त की जाती है । आरोपी परसराम

Web-Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 1887/2018, आरोपी ललित की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 1897/2018, आरोपी भूपेन्द्र की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 63/2019 एवं आरोपी डोमन द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 74/2019 स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित निर्णय द्वारा पारित दंडादेश एवं निर्णय को निरस्त किया जाता है । अपीलार्थीगण/आरोपीगण को अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

22. इस निर्णय की प्रति के सार्थ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।